

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,  
चंडीगढ़।

सेवा में,

1. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य।
2. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन.सी.आर.), गुरुग्राम।
5. संयुक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
6. सभी संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
9. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
13. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
14. कल्याण अधिकारी (महिला), फरीदाबाद व पानीपत।

क्रमांक स्था0/05/2024/ 31448 - 555


दिनांक: 25/11/24

विषय:- दिनांक 02.08.2024 को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता द्वारा प्रदेश में जिला श्रम एवं रोजगार विभाग का औचक निरीक्षण बारे।

उपरोक्त विषय के सदंर्भ में।

विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 02.08.2024 को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता द्वारा किये गए औचक निरीक्षण के दौरान कि कार्यालयों विभिन्न कार्यालयों सी0ए0विण्डो इत्यादि पोर्टलों पर शिकायतें तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत केस लंबित पाई गई है व बायोमैट्रिक मशीन तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों की उचित व्यवस्था ना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप सी0ए0विण्डो इत्यादि पोर्टलों पर लंबित शिकायतों तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत लंबित केसों के निपटान को परम अर्गता प्रदान करें तथा अपने कार्यालयों में बायोमैट्रिक मशीन तथा सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

  
सहायक श्रम आयुक्त (मुख्यालय)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।  
